Phosphatic Fertilisers/Potassic Fertilisers:—No deficit in supply is anticipated.

Handling Capacity of Harbours

*628. **Shri Narendra Singh Mahida:**
Shri Himmatsinhji:
Shri Solanki:
Shri P. H. Bheel:

Will the Minister of **Transport** be pleased to state:

(a) the size of vessels which Kandla, Visakhapatnam, Calcutta, Bombay and Madras harbours can handle;

(b) whether there is any proposal to increase the handling capacity of these harbours and if so, the particulars thereof?

The Minister of Transport (Shri Raj Bahadur): (a) and (b). A statement is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-3702/64].

दिल्ली परिवहन उपक्रम की बस सेवा

*629. **श्री यू० सिं० चौधरी :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री इ० मधुसूदन राव :

क्या **परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली परिवहन उपक्रम की बसें राजधानी में यातायात का भार वहन करने में समर्थ नहीं हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि घंटों लायन में खड़े रहने पर भी लोगों को बस नहीं मिलती हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि बसें बस-स्टापों पर भी खड़ी नहीं होतीं हैं ; और

(घ) इन असुविधाओं को दूर करने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) दिल्ली परिवहन उपक्रम की बस सेवायें किसी किसी क्षेत्र में अपर्याप्त पाई गयी हैं और विशेष कर अत्यधिक यातायात के मौकों पर ।

(ख) इस बात को व्यापकता देना सही न होगा कि घंटों लाइन में खड़े रहने के बाद भी बस नहीं मिलती हैं । परन्तु कभी-कभी ऐसा होता है कि जब कोई गाड़ी अनुसूचित फेरा नहीं लगा सकती है तो यात्रियों को आध घंटे के लगभग ठहरना पड़ता है ।

(ग) यदि बस में पहले ही बहुत अधिक भीड़ हो और किसी बस स्टाप पर कोई यात्री उतरने वाला न हो तो अत्यधिक यातायात के मौकों पर कुछ बसें सब स्टाप पर नहीं रुकती हैं ।

(घ) परिवहन की आवश्यकताओं की पर्याप्त रूप से पूर्ति करने के लिये दिल्ली परिवहन उपक्रम निम्नलिखित कार्यवाही कर रहा है :—

(1) बसों के बेड़े को धीरे धीरे बढ़ाना । प्रतिवर्ष नई बसों को खरीद कर अपने बेड़े को बढ़ाने के लिये उपक्रम का क्रमिक कार्यक्रम है ।

(2) मौजूदा गाड़ियों का निश्चित रूप से उचित अनुरक्षण ताकि गाड़ियों का अधिकतम उपयोग हो सके ।

(3) अत्यधिक यातायात के मौकों पर किसी विशेष रूट की परिवहन सुविधाओं की भारी आवश्यकताओं की पूर्ति, अन्य रूटों पर चलने वाली बसों का दैनिक आधार पर समंजन कर, करना जिससे जनता को कम से कम असुविधा हो ।

(4) उपक्रम ने निजी चालकों को कुछ बसों को अस्थायी तौर पर